राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2597/2025

गोविन्द नारायण **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. एडीजीपी (आर्मड बटालियन), पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
4. कमाण्डेंट, 9वीं बटालियन आ.ए.सी. एफ–कम्पनी, टोंक।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.04.2025
आदेश की दिनांक : 21.05.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अरूण शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 07.04.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 11.07.2017 के तहत गठित कमटी द्वारा 2013 की कांस्टेबल भर्ती में नियुक्त कर्मियों को दिनांक 26.09.2017 के आदेश से स्थाई किया गया है जिसमें सभी अभ्यर्थी जिनका स्थाई करण किया गया है उनके स्थायीकरण को केवल उतने ही दिन आगे बढाये जितने दिन उनका ई.ओ.एल है, जबकि अपीलार्थी का ई.ओ.एल के अलावा तीन माह और गलत तरीके से आगे बढाया जिस कारण अपीलार्थी का स्थाई करण दिनांक 12.05.2017 के स्थान पर दिनांक 12.08.2017 को किया गया। प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 14.7.2013 के विज्ञापन के माध्यम से आर.ए.सी. में कांस्टेबल के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए। अपीलार्थी ने विधिवत पात्र होने तथा अपेक्षित योग्यता रखने के कारण इसके लिए आवेदन किया। उसने लिखित परीक्षा, पी.एस.टी., पी.ई.टी. तथा साक्षात्कार परीक्षा उत्तीर्ण की। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 में दिए गए प्रावधानों के अनुसरण में उसका अंतिम रूप से चयन किया गया (अनुलग्नक–2)। प्रत्यर्थी विभाग ने व्यक्तियों की नियुक्ति के पश्चात अपीलार्थी के आदेश दिनांक 02.05.2017 एवं 26.09.2017

पारित किया तथा दिनांक 26.9.2017 के आदेश के अनुसार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सेवा तिथि की पुष्टि की गई थी तथा इस आदेश में विलम्ब की पुष्टि का उल्लेख आदेश के कॉलम संख्या 6 के सामने किया गया था। इस आदेश के अनुसार आदेश में ईओएल दिनों का उल्लेख था तथा इस दिन के अनुसार सेवा की पुष्टि कुछ दिन विलम्ब से की गई थी, परन्तु अपीलार्थी के साथ भेदभाव किया गया, इस आदेश के अनुसार अपीलार्थी की सेवा में तीन माह का अतिरिक्त विलम्ब किया गया, परन्तु अन्य कर्मचारियों की सेवा ईओएल के अनुसार कुछ दिन विलम्ब से की गई थी (अनुलग्नक–3)। अपीलार्थी की सेवा दिनांक 12.8.2017 के आदेश दिनांक 26.9.2017 द्वारा पुष्टि की गई थी, लेकिन समान आधार पर अपीलार्थी की व्यक्तिगत सेवा दिनांक 12.5.2017 से मान्य होगी, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी की सेवा तीन महीने देरी से मान्य की। इस आदेश के अनुसार और एक अन्य वेतन निर्धारण आदेश प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 02.11.2017 (अनुलग्नक–4) द्वारा अपीलार्थी को 01.07.2019 की तिथि से वेतन निर्धारण प्रदान किया गया था, लेकिन समान स्थिति वाले व्यक्तियों के अनुसार 01.7.2018 की तिथि से वेतन निर्धारण प्रदान किया गया। जो कार्मिक आदेश दिनांक 26.9.2017 में अपीलार्थी के समान हैं, उन्हें एक वर्ष पहले एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिल रही है। अपीलार्थी और अन्य कार्मिक की वेतन पर्चियों की एक प्रति अनुलग्नक–5 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी के पक्ष में एक वर्ष का विलंब वेतन निर्धारण किया गया तथा अन्य समान स्थिति वाले व्यक्तियों को एक वर्ष पहले वेतन निर्धारण दिया गया। अतः इसके अनुसार याचिकाकर्ता को सेवा विलंब के लिए एक वेतन वृद्धि प्रदान की गई (अनुलग्नक–6)। अतः अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 26.09.2017 को चुनौती दी है। जिसमें उनका राजकीय सेवा में स्थाईकरण किया गया। स्थायीकरण आदेश के अनुसार अपीलार्थी का ई.ओ.एल के अलावा तीन माह परिवीक्षाकाल बढा कर दिनांक 12.08.2017 से किया गया है। अपीलार्थी द्वारा उक्त आलौच्य आदेश के विरूद्ध अधिकरण में दिनांक 24.04.2025 को अपील प्रस्तुत की गई है, जो लगभग 7.5 वर्ष पश्चात की अवधि में प्रस्तुत की गई है। इस विलम्ब अवधि के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है न ही कोई कारण बताया गया है। विलंब अवधि को कंडोन करने हेतु कोई प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत

नहीं किया है। जबकि अपीलार्थी अपने स्थाईकरण के संबंध में आदेश जारी होने के समय से ही जानकार था।

अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत किए जाने के संबंध में राजस्थान सिविल सेवा (अपील अधिकरण) नियम 1976 की धारा 9 में इस संबंध में समय सीमा निर्धारित है। अतः उक्त अपील समयावधि से बाहर प्रस्तुत होने के कारण खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष